षष्ठ अध्याय

महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों का अनुवर्ती विचारकों पर प्रभाव एवं प्रांसगिकता

6.1 प्रस्तावना–

देश की स्वतंत्रता के साथ ही एक नये युग का सूत्रपात हुआ। विद्वानों तथा राजनेताओं ने गहन विचार–विमर्श के उपरांत भारतीय संविधान की रचना की जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट उल्लेख है कि ''हम भारत के लोग, भारत को एक पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये अपने समस्त नागरिको हेतु–

न्याय– सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक

स्वतंत्रता– विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

समता– प्रतिष्ठा एवं समान अवसर

बन्धुत्व– व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता सुनिश्चित करने के लिये दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान में वर्णित इन मूल्यों को अंगीकार करने का सर्वश्रेष्ठ साधन शिक्षा है। इसीलिए भारतीय संविधान में शिक्षा के क्षेत्र को बड़े स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया गया है तथा देश के सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा व्यवस्था में सुधार व जन–जन तक इसके प्रसार हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं परन्तु संतोषजनक परिणामों की प्राप्ति नही हो सकी है। वर्तमान समय में भी शिक्षा विभिन्न समस्याओं जैसे– व्यवसायीकरण, गुणवत्ता में गिरावट, सरकारी विद्यालयों व संस्थाओं का गिरता स्तर, अनुशासनहीनता, शिक्षक–शिक्षार्थी संबंधो की खराब स्थिति आदि से ग्रसित है। वर्तमान समय में पुनः

शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है इस परिवर्तन की दिशा निर्धारित करने के लिये सुनिश्चित कार्य योजना का निर्माण करना होगा। जिसके लिये हम अपने अतीत का विश्लेषण कर उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते है। भारत में 19 वीं शताब्दी में हुये पुर्नजागरण में राजाराममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानन्द, बालगंगाधर तिलक आदि समाज सुधारको के विचारों व कार्यो का विशेष योगदान रहा। 20वीं शताब्दी में महात्मा गाँधी व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, गोपालकृष्ण गोखले आदि महापुरूषों ने शैक्षिक, सामाजिक व राजनैतिक सुधार आन्दोलन का नेतृत्व किया। आधुनिक परिदृश्य के निर्माण में महात्मा गाँधी व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के युगांतकारी विचारों व कार्यो को आदर्श माना जाता है।

महात्मा गाँधी के जीवन का मूल उद्देश्य सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। गाँधी जी का मानना था कि गुलामी की स्थिति में लोगो के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती अतः उन्होंने राष्ट्र की स्वाधीनता को अपने जीवन का प्राथमिक लक्ष्य निरूपित किया क्योंकि स्वतंत्रता के अभाव में सबका कल्याण संभव नही है। वे इस मत के समर्थक थे कि केवल अंग्रेजो से राष्ट्र को स्वतंत्रत करा लेने से राष्ट्र का विकास नही होगा अपितु इसके लिये भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, वैमनस्यता शोषण आदि बुराईयों को दूर करना होगा। इसी कारण गाँधी जी ने धार्मिक सामाजिक व शैक्षिक सुधार कार्यक्रमों को स्वाधीनता आन्दोलन का अभिन्न अंग बनाया। इन सुधारवादी कार्यक्रमों में दलित व नारी उत्थान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था (सिंह, 2006)। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक समरसता हेतु स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यो की स्थापना को महत्व दिया। भारतीय संविधान में इन

मूल्यो की स्थापना में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णनन आदि महान चिंतको का विशेष योगदान रहा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इन्हीं मूल्यों व आदर्शो की स्थापना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है परन्तु वर्तमान शिक्षा द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति नही हो पा रही है।

यदि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के निर्माण, विकास संवर्धन में शिक्षाविद्वानों के योगदान की बात की जाए तो महात्मा गाँधी व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का चिंतन व प्रयास अतुलनीय है। इन दोनों महापुरूषों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आधार व प्रारूप तैयार किया है जो आज इतने वर्षो बाद भी उतनी ही सजगता के साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था को निर्देशित कर रहा है। अतः ज्योतिराव फुले के विचारों की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता वास्तव में तभी सिद्ध हो सकती है जब महात्मा गाँधी व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर ज्योतिराव फुले के प्रभाव की समीक्षा की जाये। जिससे कुछ सार्थक निष्कर्ष प्राप्त होगें। अतः प्रस्तुत अध्याय में महात्मा गाँधी व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पर ज्योतिराव फुले के विचारों के प्रभावो का अध्ययन कर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में महात्मा ज्योतिराव फुले के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता की समीक्षा की जा रही है–

6.2 महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों का महात्मा गाँधी के चिंतन पर प्रभाव–

सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, स्त्रियों, शूद्रों व समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार लाने, शिक्षा का प्रसार और सामाजिक अन्याय के विरूद्ध जन अभियान चलाने वाले महापुरूषों में महात्मा गॉधी का नाम प्रमुख रूप से आता है। प्रस्तुत अध्याय

में महात्मा ज्योतिराव फुले व महात्मा गॉधी के विचारों एवं कार्यो में सहमति एवं समरूपता, असहमति एवं विरोध जैसे विन्दुओं पर तुलना कर महात्मा गाँधी पर ज्योतिराव फुले के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

महात्मा ज्योतिराव फुले व महात्मा गॉधी के दूरगामी लक्ष्य बहुत कुछ समान थे। दोनो ही महापुरूष भारतीय समाज का सर्वांगीण विकास चाहते थे व अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। वे कर्म में विश्वास रखते थे तथा उनके लक्ष्य एवं कार्यो में सामंजस्य था। महात्मा ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में धार्मिक व सामाजिक सुधार के प्रणेता थे। उन्होने पिछड़ो व दलितो के उत्थान के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये। ज्योतिराव फुले ने 1873 में 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की। सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्होने अपने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक सुधारों को आगे बढ़ाया। फुले ने ब्राह्मणों द्वारा समाज में स्थापित कर्मकाण्ड, अस्पृश्यता व भेदभाव का विरोध किया। महात्मा गाँधी का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करना था तथापि धार्मिक व सामाजिक सुधार कार्यो को गाँधी जी ने कभी निविड़ में नही जाने दिया। गाँधी जी ने वंचित वर्ग के उत्थान एवं विकास हेतु अनेक प्रयास किये व समाज में व्याप्त कुरीतियों व अन्धविश्वासों का खण्डन किया। गाँधी जी का लक्ष्य था 'सर्वोदय समाज की स्थापना' सर्वोदय समाज से गाँधी जी का तात्पर्य एक ऐसे समाज से था जिसमें सभी उन्नत हो, सभी सुखी हो, सभी के साथ न्याय हो तथा सामाजिक प्रगति में सब समान रूप से भागीदार बनें। इस प्रकार गाँधी जी समाज में न्याय, समानता, भ्रातृत्व जैसे मूल्यों की प्रतिस्थापना के समर्थक थे।

ज्योतिराव फुले ने धर्म व धर्म शास्त्रों की कठोर शब्दो में निन्दा की है। उनका विश्वास था कि समाज में व्याप्त असमानता, शोषण व अन्याय का एक मात्र कारण यह धार्मिक व्यवस्था ही है। इसीलिये उन्होने सार्वजनिक सत्यधर्म नामक एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसमें सभी समान थे। इस पुस्तक में कर्मकाण्डों व पूजापाठ के स्थान पर सरल–सहज विधियों को अपनाने की बात की गई थी। गाँधी जी भी समाज में बदलाव चाहते थे। वह अन्धविश्वास व पाखंड के विरोध में भी थे। परन्तु गाँधी जी का धर्म में दृढ़ विश्वास था वह 'गीता' को ज्ञान का आधार मानते थे।

महात्मा ज्योतिराव फुले व महात्मा गाँधी दोनो ही इस तथ्य पर एक मत थे कि यदि शोषित वर्ग का उत्थान करना है तो उन्हें ज्ञान देना ही होगा। शिक्षा के माध्यम से ही वह अपने अधिकारों से परिचित होकर आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो सकेगे। इस अवधारणा मूर्त रूप देते हुये दोनों महापुरूषों ने अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा की बात की जिसका स्वरूप सार्वभौमिक हो।

ज्योतिराव फुले मानवतावादी शिक्षा के समर्थक है उनके अनुसार शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिये जिससे मानव गरिमा, सामाजिक न्याय व मानवीय अधिकारों की प्राप्ति सम्भव हो सके। महात्मा गाँधी की शिक्षा का स्वरूप व्यक्ति का आत्मिक विकास करना है। वह शिक्षा द्वारा छात्रों को हस्तकौशलो का ज्ञान प्रदान कर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने पर बल देते है साथ ही शिक्षा द्वारा छात्रों में उत्तम चरित्र का निर्माण भी गाँधी जी का महत्वपूर्ण ध्येय है। महात्मा गाँधी की शिक्षा के उद्देश्यों में चरित्र निर्माण व स्वावलम्बन को विशेष स्थान प्राप्त है।

ज्योतिराव फुले ने प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक पाठ्यक्रम की बात की है जिसमें लगभग समस्त विषयों का सामान्य ज्ञान सम्मिलित है। फुले ने उच्च स्तर पर रोजगार परक शिक्षा का समर्थन किया है जिससे युवक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें या वे किसी व्यवसाय अथवा कौशल में निपुण हो सके। ज्योतिराव फुले ने प्रत्येक स्तर पर प्रजातांत्रिक व धर्म निरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया है। महात्मा गाँधी ने पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक पक्ष की प्रधानता पर बल दिया गया है। किन्तु उनका बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष है इसका केन्द्र श्रम एवं शिल्प है। गाँधी जी ने कुटीर उद्योग को शिक्षा कार्यक्रम का अभिन्न अंग माना है इस प्रकार उन्होने बालक–बालिकाओं के लिये पृथक–पृथक पाठ्यक्रम को महत्व दिया है।

ज्योतिराव फुले के अनुसार एक आदर्श शिक्षक वह है जो सांप्रदायिकता, संकीर्णता, शोषण, अंधविश्वास व धार्मिक दृष्टिकोण से रहित होकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना में प्रयत्नशील रहे। फुले सभी वर्गो के शिक्षकों की नियुक्ति का समर्थन करते है तथा उन्होनें शिक्षक प्रशिक्षण को विशेष महत्व प्रदान किया है उनका विचार था कि एक प्रशिक्षित अध्यापक ही बाल मनोविज्ञान के अनुसार यथोचित् शिक्षण कार्य कर सकता हैं। शिक्षक के सम्बंध में महात्मा गाँधी का दृष्टिकोण आदर्शवादी था। अध्यापन पवित्र कार्य है, अतः जिनका स्वयं का चरित्र दोषरहित है, जो सदैव सीखने के लिये तत्पर रहते हैं वही शिक्षक बनने के योग्य है। छात्रों के लिये शिक्षक का आचरण आदर्श स्वरूप होना चाहिये।

महात्मा गाँधी ने शिक्षण विधियों के चुनाव में परम्परागत पद्धतियों का स्थान दिया है। वह श्रवण–मनन–निदिध्यासन, स्वाध्याय, योग व ध्यान जैसी वैदिक कालीन पद्वतियों में रूचि रखते हैं वहीं ज्योतिराव फुले ने मानवतावादी शिक्षण विधियों को प्राथमिकता दी है। वह सरल व प्रभावत्मक शिक्षण विधियों के चुनाव का समर्थन करते है जैसे भ्रमण विधि, खेलविधि, प्रयेाग–प्रर्दशन विधि व संवादविधि आदि।

गाँधी व ज्योतिराव फुले के शिक्षा प्रबंध एवं प्रशासन के सम्बंध में विचार भिन्न है। महात्मा गाँधी प्राचीन गुरूकुल प्रणाली से प्रभावित है। गाँधी जी का विचार था कि शिक्षण संस्थाएं अपना खर्च स्वयं वहन करें इसके लिये उन्होने उद्योग केन्द्रित शिक्षा पर बल दिया। वहीं ज्योतिराव फुले शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का मानते है उनका कहना था कि सरकार विद्यालयों की स्थिति में मात्रात्मक व गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करे। राज्य का कर्तव्य है कि वह शिक्षा का व्यय स्वयं वहन करें तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिये छात्रावास, छात्रवृत्ति व आरक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान करें। परन्तु दोनों महापुरूषों ने शिक्षा के माध्यम से स्वावलम्बन की प्राप्ति को ही मुख्य लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है।

ज्योतिराव फुले मातृभाषाओं के ज्ञान के साथ–साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक मानते हैं क्योकि अंग्रेजी के ज्ञान के द्वारा ही छात्रों को देश–विदेश, विज्ञान व तकनीकी का ज्ञान कराया जा सकता है, दूसरे देशों की सामाजिक न्याय व्यवस्था का ज्ञान भी अंग्रेजी भाषा द्वारा ही संभव है। गाँधी जी ने 'स्वदेशी' का समर्थन किया है अतः वह राजभाषा हिन्दी, मातृभाषा व वैदिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना

चाहते थे उनकी बेसिक शिक्षा योजना में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महापुरूषों ने राष्ट्र निर्माण व विकास हेतु मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के महत्व स्वीकार किया है ।

महात्मा ज्योतिराव फुले व महात्मा गाँधी के शैक्षिक विचारों में कुछ असमानता अवश्य है जोकि उनके जीवन दर्शन, समय व परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हो सकती है परन्तु बहुत से आयामों में दोनो महापुरुष एकमत हैं जैसे– शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण, नैतिक विकास पर बल, शिक्षा द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य, नीति जैसे सद्‌गुणों की प्राप्ति आदि। उन्होने शिक्षा में अनुशासन के महत्व को स्वीकार किया है व शिक्षकों द्वारा विद्यालय में ऐसे स्वस्थ वातावरण के निर्माण की बात कही है जिसमें छात्र आत्मानुशासित हो सकें। दोनो महापुरूषों ने स्त्री शिक्षा को गंभीरता से लिया है। महात्मा गाँधी व ज्योतिराव फुले ने स्त्रियों के साथ हो रहे अन्याय, शोषण व कुप्रथाओं का विरोध किया है। वे शिक्षा द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों से परिचित कराने व उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल देते हैं।

महात्मा गाँधी एवं महात्मा ज्योतिराव फुले के विचार मौलिक व स्पष्ट हैं। उनका कार्यक्षत्र राजनीति, समाजसुधार व मानवकल्याण था। यद्यपि महात्मा गाँधी व ज्योतिराव फुले के विचारों में अनेक समानताएं थी तथापि दोनों के विचारों में, उपागम, पद्धति और प्राथमिकताओं के आधार पर मौलिक अंतर था। दोनो ही महापुरूष भारतीय समाज का पुनरूद्धार चाहते थे परन्तु उनके दृष्टिकोण कुछ भिन्न थे। गाँधी जी का दृष्टिकोण परम्परावादी था जबकि ज्योतिराव फुले आधुनिकता के पक्षधर थे। परन्तु सार रूप में

यह कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी जी के सामाजिक व शैक्षिक विचारों का बुनियादी ढांचा ज्योतिराव फुले के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। ज्योतिराव फुले की भॉति महात्मा गाँधी के कार्यक्षेत्र का केन्द्र बिन्दु अपवंचित व शोषित वर्ग ही था। यही कारण है कि महात्मा गाँधी ने सन् 1932 में यरवदा जेल में ज्योतिराव फुले के विषय में कहा कि 'ज्योतिराव फुले वास्तव में महात्मा हैं' (यदुलाल, 2006)।

6.3 महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों का डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के चिंतन पर प्रभाव

आधुनिक युग में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये देश में जिन लोगो ने कार्य किया उनमें महात्मा ज्योतिराव फुले व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर अग्रणी हैं। एक न्यायपूर्ण समाज की रचना हेतु इन दोनों महापुरूषों ने जो कार्य किये उनके समीक्षा के बिना सामाजिक न्याय की अवधारणा का विश्लेषण संभव नहीं है। महात्मा ज्योतिराव फुले व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में दलित, शोषित, पीड़ित तथा समस्त वंचित वर्ग की समस्याओं से उन्हें मुक्त कराने हेतु जीवन पर्यन्त संघर्ष किया। समाज में इन वर्गो के अधिकरो का हनन स्मृति काल से लेकर आधुनिक काल तक होता रहा है। इन्हीं कारणों से यह वर्ग समाज की मुख्य धारा से कट कर अलग जीवन व्यतीत करने को विवश था। अतः इस वर्ग को उसके अधिकार दिलाना व उनके ऊपर थोपी गयी निर्योग्यताओं से मुक्ति दिलाना अति आवश्यक था। इसी उद्देश्य से महात्मा ज्योतिराव फुले व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय समाज की परम्परागत संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया।

अपवंचित वर्ग के अधिकरों की रक्षा व समाज में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना के विकास हेतु अनेक महापुरूषों जैसे– राजाराममोहन राय, विवेकानन्द, दयानंद सरस्वती, केशवप्रसाद सेन, गोविन्द रानाडे आदि ने अथक प्रयास किये थे तथा उन्हे अपने प्रयासो में सफलता भी मिली थी किन्तु महात्मा ज्योतिराव फुले ने हिन्दू धर्म के दकियानुसी प्रथाओं पर सबसे गहरा आघात किया तथा हिन्दू धर्मशास्त्रों को शूद्रों, किसानों व महिलाओं की दयनीय स्थिति का जिम्मेदार माना और धर्मशास्त्रों की अतार्किक बातों का विरोध किया। इस संदर्भ में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले से अत्यधिक प्रभावित थे उन्होंने धर्मशास्त्रों को शूद्रो की निर्योग्यताओं के लिये दोषी माना। इन दोनों महापुरूषों ने समाज के सर्वाधिक कमजोर व निचले तबके के लिये कार्य किया। महात्मा ज्योतिराव फुले का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित था जबकि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने ज्योतिराव फुले के आन्दोलन क्षेत्र को विस्तार दिया व व्यापक बनाया। इन महापुरूषों के उद्देश्य व कार्यो में समानता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है वे समाज सुधार सम्बंधी कार्यो को उचित दिशा देने के प्रति कृतसंकल्पित थे।

महात्मा ज्योतिराव फुले की मृत्यु 28 नवम्बर 1890 में हुयी तथा डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म सन् 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉ0 अम्बेडकर ने प्रारम्भिक शिक्षा सतारा महाराष्ट्र में पूर्ण की इस कारण दोनो ने अपने जीवन में सामाजिक विषमता के कटु अनुभव में वहीं से प्राप्त किये। अतः उनके चिंतन में समानता का भाव दिखना स्वाभाविक ही था। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिराव फुले को अपना गुरू

स्वीकार किया व उनके न्याय, समानता, मानव गरिमा की स्थापना के मार्ग पर जीवनपर्यन्त अग्रसर होते रहे।

परम्परागत समाज संरचना में परिवर्तन का स्वरूप क्या हो? यह परिवर्तन किस प्रकार लाया जाए तथा इसके लिये आवश्यक पहल किस प्रकार की जाए? इस सम्बंध में दोनो विद्वानों के मत समान थे। दोनों महापुरूष ब्राह्मणी सनातन धर्म को समस्त सामाजिक अव्यवस्थाओं का कारण मानते थे। डॉ0 रामगोपाल सिंह ने उद्धृत किया है कि डॉ0 अम्बेडर के अनुसार ''असमानता, हिन्दू समाज का बुनियादी सिद्धांत है। हिन्दू धर्म, चिंतन एवं कार्य–व्यवहार की रचना असमानता के सिद्धांत पर ही हुयी है'' (सिंह, 2006)। महात्मा ज्योतिराव फुले व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध के मार्ग को अपनाया व मानवता को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया।

महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यो से युक्त सामान्य व सार्वभौमिक शिक्षा संकल्पना प्रस्तुत की है। उन्होंने लिंग, जाति, वर्ग, धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिये शिक्षा की बात की है। उनका विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से ही शोषित वर्ग अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सचेत हो सकता है। अतः यदि समाज में समानता लानी है तो शिक्षा को आधार बनाना आवश्यक है। फुले के इन विचारों का डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भी शिक्षा के माध्यम से मानवीय गरिमा, समानता, स्वतंत्रता, चरित्र निर्माण व अंधविश्वास तथा रूढ़ियों से मुक्ति जैसे मानवीय उद्देश्यों की प्राप्ति की बात की है।

ज्योतिराव फुले व अम्बेडकर ने शैक्षिक उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित व मौलिक पाठ्यचर्या प्रस्तुत की है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम का समर्थन किया है उनकी शिक्षा की संकल्पना रोजगारपरक है अतः उन्होने पाठ्यचर्या में हस्तकौशल, कृषि शिक्षा, विज्ञान व तकनीकी को विशेष महत्व प्रदान किया है ज्योतिराव पाठ्यचर्या में सामान्य विषयों के साथ भाषा व नैतिक ज्ञान को भी विशेष स्थान प्रदान करते हैं। डॉ0 अम्बेडकर का पाठ्यक्रम मात्र साक्षरता का पर्याय नहीं था उनके शैक्षिक विचारों में आचरण एवं व्यवहार की शिक्षा, अनुभूति एवं अभिवृत्ति की शिक्षा जो सामाजिक विषयों एवं वैज्ञानिक विषयों के साथ–साथ नैतिक समन्वय पर बल देती हो को स्थान प्रदान किया गया है। उनका विश्वास था कि पाठ्यक्रम एक समान होना चाहिए जो समाज को आत्मनिर्भर बनाए। इस प्रकार दोनो महापुरूष रोजगारपरक पाठ्यक्रम के समर्थक हैं ताकि वंचित वर्ग जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके व अपने जीवन स्तर में सुधार ला सके।

महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उन्होनें समस्त जातियों एवं वर्णो से शिक्षकों को नियुक्त किए जाने की बात की है ताकि शिक्षक अपनी जाति एवं वर्ण के लोगो की समस्याओं को समझकर उन्हें आवश्यकतानुसार ज्ञान प्रदान कर सके। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु फुले ने शिक्षक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण माना है। शिक्षक के सम्बंध में डॉ0 अम्बेडकर के विचार यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित है तथा वे प्रयोजनवाद से प्रभावित थे अतः उनकी शिक्षक की संकल्पना उसी सन्दर्भ में है। सामाजिक मूल्यों एवं जनतान्त्रिक

मूल्यों को जो अपने जीवन में जीता है तथा छात्रों में विकसित करने की भावना रखता हो, वही व्यक्ति शिक्षक बनने योग्य है। उनके अनुसार शिक्षक एवं छात्र के सम्बंध जनतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित होने चाहिए।

महात्मा ज्योतिराव फुले व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा में भाषा के ज्ञान को विशेष महत्व प्रदान किया है। अम्बेडकर ने सम्पूर्ण देश में एक राज भाषा का ज्ञान आवश्यक माना है क्योंकि इससे देश में राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। ज्योतिराव फुले ने मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा व फारसी भाषा सभी का ज्ञान आवश्यक माना है उनका विचार था कि छात्रों की आवश्यकता व रूचि के अनुसार उन्हें भाषाओं का ज्ञान कराना चाहिए।

शिक्षा वित्त के सम्बंध में महात्मा ज्योतिराव फुले व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के विचार समान हैं। दोनो महापुरूषों ने इस सन्दर्भ में राज्य की भूमिका पर बल दिया है उनका विचार है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह शिक्षा के व्यय को स्वयं वहन करे तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिये छात्रवृत्ति, छात्रावास, आरक्षण आदि सुविधाएं प्रदान करें।

महात्मा फुले व डॉ0 अम्बेडकर शिक्षा को मानव अधिकार व सामाजिक न्याय दिलाने वाले सशक्त उपकरण के रूप में देखते हैं। इनका विचार था कि शिक्षा के माध्यम से ही शूद्र, दलित, नारी आदि वर्गो का उत्थान एवं उद्धार संभव है क्योंकि शिक्षा द्वारा ही इस शोषित वर्ग में स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, आत्मउद्धार की भावना जागृत की जा सकती है। उनका मत था कि सामाजिक दासता राजनैतिक दासता से

अधिक घातक है। अतः सामाजिक अधिकारों के लिये दोनो महापुरूष जीवन भर आन्दोलनरत रहे तथा दलित एवं पिछड़ी जातियों के लिये संवैधानिक अधिकारों की आवश्यकता पर बल दिया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष मजबूती के साथ प्रस्तुत किया तथा हण्टर आयोग (1882) के समक्ष अपना प्रतिवेदन ज्ञापित किया जिसमें उन्होनें अपवंचित वर्ग की शिक्षा व अधिकरों हेतु विस्तार से अपने सुझाव ज्ञापित किये है। वहीं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिराव के सुझावों से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये विशेष संरक्षण की व्यवस्था की है जो इस प्रकार है–

संविधानके अनु 15(1)– धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई विभेद नही किया जाये।

अनु 16– सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिये जाएगे।

अनु 17– द्वारा अस्पृश्यता का अंत।

अनु 18– द्वारा नागरिको को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

अनु 25– सार्वजनिक व धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिये खोल दिये जाएंगे।

अनु 29– शिक्षण संस्थाओं में किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नही रोका जा सकता है।

अनु 34– राज्य अनुसूचित जाति तथा जन जातियों के शिक्षा सम्बंधी तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा।

अनु 330, 332 और 334 के अनुसार– संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक लोकसभा, विधान सभाओं, ग्रामपंचायतों और स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियो के लिये स्थान सुरक्षित रहेगे। यह व्यवस्था आज भी लागू है।

अनु 146 व 338 के अनुसार– अनुसूचित जातियों के कल्याण परिषदो एवं पृथक–पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। डॉ0 अम्बेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकरों की संकल्पना की वकालत की है।

दोनो महापुरूषों ने सामाजिक कुप्रथाओं व कुरीतियों का विरोध किया है। उनका विश्वास था कि यह कुप्रथायें ब्राह्मणों द्वारा निम्न वर्ग को भ्रमित करने व उनके शोषण के लिये बनायी गयी हैं तथा कुप्रथाओं को दूर करके ही समाज में भेदभाव, ऊँच–नीच, असमानता, अस्पृश्यता व शोषण को दूर किया जा सकता है। अपवंचित वर्ग के विकास हेतु फुले व अम्बेडकर ने समाज में पूर्णतः शराबबंदी का समर्थन किया है ताकि अपवंचित वर्ग के लोग अपनी परिश्रम की कमाई को व्यर्थ में न गवाएं। इन्होंने नैतिक विकास, चरित्र निर्माण, स्वच्छता व स्वास्थ्य को उत्तम जीवन की आधारशिला माना है।

अतः सारांश रूप मे कहा जा सकता है डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक, दार्शनिक, शैक्षिक विचारों पर महात्मा ज्योतिराव फुले का अक्षुण्य प्रभाव था। अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिराव फुले को अपना गुरू माना व फुले के चिंतन, व्यक्तित्व व कृतित्व से प्रेरणा लेकर अपने जीवन की दिशा निर्धारित की। जिसका मुख्य कारण थे दोनो के

जीवन के वह कटु अनुभव जो सामाजिक व धार्मिक विषमता के चलते उन्हे प्राप्त हुये इसीलिए दोनो महापुरूषों ने हिन्दू धर्म शास्त्रों की कठोर स्वर में निन्दा की व धर्मग्रंथो के संरक्षण के रूप में विद्यमान ब्राह्मणी सत्ता की चुनौती दी। महात्मा फुले व डॉ0 अम्बेडकर ब्राह्मणों (आर्यो) को विदेशी मानते थे उनका विचार था कि इन आर्यो ने छल–बल से यहाँ के मूल निवोसियों (दलितो) को भ्रमित कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। इसीलिये दोनो विद्वानों ने एक ऐसी धार्मिक पुस्तक की रचना की बात की है जो समस्त वर्णो के साथ न्याय करती हो तथा सभी को समान रूप से मान्य हो।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भी ज्योतिराव फुले की भांति अंग्रेजी राज्य के विरूद्ध संघर्ष की तुलना में जाति–भेद व वर्ण व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष को अधिक महत्व दिया। अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ''स्वराज की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वराज में हिन्दुओं की रक्षा। जब तक हिन्दू जातिविहीन समाज नहीं बनता तब तक वह अपनी रक्षा की क्षमता प्राप्त नही कर सकता। इस प्रकार की आंतरिक शक्ति के अभाव में संभावना यह है कि स्वराज हिन्दुओं के लिए एक नई गुलामी बन जाए'' (अम्बेडकर, 1974)।

महात्मा ज्योतिराव फुले ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व की जो आधारशिला गुलाम भारत में 19 वीं शताब्दी में रखी थी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने उस पर अपने प्रयासों से संविधान रूपी एक सुन्दर महल का निर्माण किया जिसमें सभी के लिये कल्याण का भाव निहित है। अम्बेडकर ने ज्योतिराव फुले को न केवल अपना

गुरू माना वरन् अपनी अमूल्य कृति 'शूद्र कौन थे?' ज्योतिराव फुले को समर्पित की। दोनो महापुरूषों ने अन्याय का कारण अज्ञान माना व इस अंधकार से निकलने के लिये मार्ग महात्मा बुद्ध का संदेश ''अप्प दीपो भव''– अपना प्रकाश स्वयं बताया व स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति प्रकाशमान, विवकेशील तथा जागरूक बनेगे तो अंधेरा स्वतः ही नष्ट हो जाएगा और समाज में अन्याय हेतु स्थान नही बचेगा।

महात्मा ज्योतिराव द्वारा किये गये प्रयास अग्रणी स्थान रखते हैं क्योंकि उन्होने इतनी विषम परिस्थितियों के मध्य समाज के सबसे निम्न वर्ग के अधिकारों के लिए आजीवन निःस्वार्थ भाव से संघर्ष किया है। स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व, न्याय, व्यक्ति की गरिमा जैसे जिन मूल्यों की स्थापना का उद्देश्य हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है उनका शुभारम्भ ज्योतिराव फुले ने 19वीं शताब्दी में ही कर दिया था। उन्होंने इन विषयों पर मात्र चर्चा नहीं की वरन् वास्तविक पटल पर फलीभूत करके भी दिखाया। शिक्षा के क्षेत्र में फूले द्वारा किये गये कार्य न केवल तत्कालीन समय में वरन् वर्तमान तथा भविष्य के लिए भी प्रेरणास्त्रोत व दिशा सूचक होगें। ज्योतिराव के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता सदैव रहेगी क्योंकि उनके विचार तर्क, आधुनिकता, वैज्ञानिकता व मानवता जैसी कसौटियों पर आधारित थे । ज्योतिराव ने शिक्षा द्वारा समस्त क्षेत्रों में सुधार की बात की है। उनका विचार था कि शिक्षा द्वारा ही मनुष्य मति, गति, नीति व धन प्राप्त कर सकता है और इनकी प्राप्ति से ही उसका विकास हो सकेगा। संसार की ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं होगी जो इस तर्क से सहमत न हो कि शिक्षा से ही

सद्गुण, धन व बुद्धि का विकास होता है इस प्रकार उनके विचार सार्वभौमिक है जो समस्त देश काल की परिस्थितियों पर लागू होते हैं।

6.4 आधुनिक परिप्रेक्ष्य में महात्मा ज्योतिराव फुले के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता–

शिक्षा व्यक्ति की अर्न्तनिहित शक्तियों को उजागर करती है, उसे देवत्व का दर्शन कराती है और मानवीय मूल्यों की अनुभूति का अवसर प्रदान करती है शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी नैसर्गिक क्षमताओं का पूर्णतः विकास करने में सक्षम होता है। शिक्षा के इस रचनात्मक प्रभाव का आंकलन सदियों पहले ज्योतिराव ने अपने शैक्षिक दर्शन में करके इसे यथार्थ रूप प्रदान किया था। महात्मा ज्योतिराव के शिक्षा के विभिन्न आयामों व स्तरों से सम्बन्धित विचारों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता का अध्ययन निम्नबिन्दुओं के अर्न्तगत किया जा रहा है–

- **शिक्षा का अर्थ–**

महात्मा ज्योतिराव ने 19वीं शताब्दी में शिक्षा के लोकतंत्रात्मक व धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की अवधारणा प्रस्तुत की थी। महात्मा ज्योतिराव फुले के शैक्षिक विचारों की समीक्षा से स्पष्ट है कि शिक्षा वह है जो समाज में स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों को प्रतिस्थापित कर सके तथा मनुष्य को उसके अधिकरों से परिचित व उन्हें प्राप्त करने में सक्षम बना सके। महात्मा गाँधी व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा का स्वरूप भी धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक है। महात्मा गाँधी ने जहाँ 'सर्वधर्मसमभाव' को शिक्षा का

आधार माना है वहीं अम्बेडकर ने ज्योतिराव के विचारो से प्रेरणा लेकर शिक्षा के अर्थ को मानवीय अधिकारों के प्रति सचेत करने व जागरूक करने से सम्बद्ध किया है।

वर्तमान परिदृश्य में स्वयं को श्रेष्ठ समझने की प्रतिस्पर्धा जारी है प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म, जाति व वर्ग को दूसरो से श्रेष्ठ मान रहा है जिसका परिणाम धार्मिक, सामाजिक दंगो के रूप में प्रतिदिन सुनने को मिलता है ऐसे विद्वेष पूर्ण वातावरण में महात्मा ज्योतिराव फुले के सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व सम्बंधी विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं उनकी शिक्षा की संकल्पना इन्हीं मूल्यों पर आधारित है अतः उनके द्वारा निर्मित शिक्षा प्रणाली आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक सिद्ध होगी।

- **शिक्षा के उद्देश्य–**

ज्योतिराव ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों को अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि शिक्षा समाज में व्याप्त असमानता, शोषण, ऊँच–नींच को समाप्त करने में सक्षम होनी चाहिए शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की गरिमा का निर्धारण हो व उसे जीविकोपार्जन के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। लोगों में ज्ञान व चरित्र का विकास हो ताकि अस्पृश्यता, अंधविश्वास व रूढ़िवादिता से मुक्ति मिल सके। महात्मा ज्योतिराव फुले ने निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को भी शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में स्थान दिया है। महात्मा गाँधी व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक उद्देश्य भी मनुष्यों में चरित्र निर्माण, जीविकोपार्जन, समानता व स्वतंत्रता की भावना, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों से मुक्ति पर आधारित है। महात्मा गाँधी ने भी अपनी बेसिक

शिक्षा योजना में 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की अनिवार्यता सिद्ध की है।

19वीं शताब्दी मे ंज्योतिराव फुले द्वारा निर्धारित किये गये इन शैक्षिक उद्देश्यों की प्रसांगिकता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही देश के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बन्धुत्व आदि अधिकारों को प्रदान किया गया है। देश की शिक्षा व्यवस्था इन्हीं आदर्शों पर आधारित है जिसका परिणाम यह है कि वर्तमान समय मे ंकिसी भी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय के व्यक्ति को किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश लेने व सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 A में 'शिक्षा का अधिकार' कानून बनाकर उसे भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों से जोड़ा गया है, व स्पष्ट किया गया है कि देश के 6–14 वर्ष के समस्त बालको हेतु अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्र व राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा।

आदिकाल से ही भारत में जहाँ शिक्षा का स्वरूप धर्म पर आधारित था व शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। इस अवधारणा को परिवर्तित करते हुए ज्योतिराव फुले ने शिक्षा को तर्क व वैज्ञानिकता पर आधारित ज्ञान से जोड़ा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना आर्थिक विकास कर सकें क्योंकि व्यक्ति व समाज के विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है । ज्योतिराव का आर्थिक विकास सम्बन्धी यह उद्देश्य भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में मान्य है कि शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति भौतिक प्रगति को प्राप्त कर अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा सकता है।

वर्तमान भारतीय समाज में बढ़ते अपराधीकरण व नैतिक मूल्यों में ह्रास को देखते हुए ज्योतिराव द्वारा चरित्र निर्माण को शिक्षा के मुख्य उद्देश्य रूप में प्रतिस्थापित करना वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक व अनिवार्य है। आज आवश्यकता है कि बालकों को प्राथमिक स्तर से ही नैतिक व मूल्य शिक्षा प्रदान की जाये व उनका विस्तार उच्च शिक्षा तक किया जाय जिससे देश में सभ्य, सुसंस्कृत, ईमानदार व देशभक्त नागरिकों का निर्माण हो सके।

- **पाठ्यचर्या–**

महात्मा ज्योतिराव फुले ने शैक्षिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु एक व्यवस्थित पाठ्यचर्या की रचना की है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनके पाठ्यचर्चा सम्बंधी विचारों की प्रासंगिकता की समीक्षा निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत की जा रही है–

(i) प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या–

ज्योतिराव ने प्राथमिक स्तर पर सामान्य व व्यवहारिक पाठ्यचर्या का निर्माण किया है जिसमें लेखन, वाचन, गणित, इतिहास, भूगोल, भाषा, नीति, व्याकरण, स्वच्छता व स्वास्थ्य आदि विभिन्न विषय सम्मिलित है। महात्मा गाँधी ने अपनी बेसिक शिक्षा योजना की पाठ्यचर्या में मातृभाषा, नैतिक शिक्षा, स्वच्छता व स्वास्थ्य आदि विषयों को विशेष स्थान प्रदान किया है। डॉ0 अम्बेडकर भी पाठ्यचर्या में नैतिक विषयों को स्थान प्रदान करने के पक्षधर थे।

यदि तात्कालिक परिस्थितों पर दृष्टि डाले तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति न होकर सूचनाओं का एकत्रीकरण हो गया है। पाठ्यचर्चा में आवश्यकता से

अधिक विषयों का समावेश कर दिया गया है जिसमें बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दबता चला जा रहा है। 'पर्सनॉलिटी डेवलपमेन्ट' के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है व छात्रों को बिना उनकी आवश्यकता, रूचि व क्षमता जाने अनावश्यक तथ्यों व विषयों को सिखानें का प्रयास हो रहा है। इन गतिविधियों से उनका व्यक्तित्व विकास नहीं होता है वरन् उनकी मूल प्रवृत्तियों व रूचियों का हनन अवश्य होता है।

ऐसी परिस्थियों में ज्योतिराव फुले के पाठ्यक्रम सम्बंधी विचार की प्रासंगिक हो जाते हैं उन्होने सामान्य व व्यवहारिक शिक्षा की बात की थी जिसका स्वरूप सरल व ग्राह्य हो उनके विचारों की स्पष्ट झलक 'राष्ट्रीष्य पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005' में प्रतिबिम्बित होती है। जिसका उद्देश्य ही है 'शिक्षा बिना बोझ के'। अर्थात् स्कूली बस्ते का वजन कम किया जाए व बच्चों के रटने के स्थान पर क्रिया व अनुभव विधियों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए। महात्मा गाँधी ने भी अनुभव व क्रिया को शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिया साथ ही पेस्टॉलाजी, फ्रॉबेल, रूसों, जॉन डीवी जैसे महान दार्शनिक व शिक्षाशास्त्री भी सामान्य, सरल व व्यवहारिक प्राथमिक पाठ्यचर्या कर ही समर्थन करते है जिससे बच्चे अपनी रूचि व क्षमता के अनुसार विकसित हो सकें।

(ii) उच्च स्तर की पाठ्यचर्या –

उच्च स्तर की पाठ्यचर्या के सम्बंध में ज्योतिराव का मुख्य प्रस्ताव यह था कि यह रोजगारपरक होनी चाहिए। ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर युवक आत्मनिर्भर बन कर अपना, समाज व देश का विकास कर सकें।

वर्तमान समय में यदि देश की प्रमुख समस्याओं पर दृष्टि डालें तो बेरोजगारी उनमें से एक है आज हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिसका दुष्परिणाम अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, कुण्ठा आदि समस्याओं के रूप में हमारे समक्ष है। गाँधी जी की वर्धा शिक्षा योजना का आधार ही हस्तकौशल व कुटीर उद्योग थे। ताकि छात्र क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन सकें। अम्बेडकर का विचार था कि अपंवंचित वर्ग जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकता है व अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकता है। आधुनिक भारत में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम जैसे कौशल विकास कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया आदि शिक्षा को रोजगार परक बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों की प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध कर रहे हैं।

- **शिक्षण विधियाँ–**

शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप ही शिक्षण विधियाँ निर्धारित होती हैं। ज्योतिराव फुले की शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक है। अतः व्यवहारिक शिक्षण विधियों को ही महत्व दिया है जैसे–प्रयोग प्रदर्शन विधि, पर्यटन विधि, खेल विधि, स्वाध्याय विधि आदि महात्मा गाँधी ने भी स्वाध्याय विधि व प्रयोग प्रदर्शन विधि को विशेष महत्व प्रदान किया है। यह शिक्षण–विधियाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। वर्तमान समय में कान्वेण्ट स्कूलों में रटने पर अत्यधिक बल दिया जाता है, छात्र को कम्प्यूटर बनाने की होड़ मची है। शिक्षण में व्यवहारिकता का अभाव है। अतः ज्योतिराव द्वारा सुझायी गयी प्रयोग प्रदर्शन, पर्यटन, व खेल विधियाँ आज भी प्रासंगिक है। अनेक शिक्षा शास्त्री व

मनोवैज्ञानिक जैसे– फ्रोवेल, माण्टेसरी, मिल्टन आदि इन शिक्षण विधियों को अपनाये जाने का सुझाव देते हैं। इन विधियों द्वारा शिक्षण से छात्रों में कुण्ठा व नकारात्मकता का भाव जागृत नहीं होता है।

प्रत्यक्ष अनुभव व क्रिया द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है तथा रटने की अपेक्षा यह अधिक लाभकारी होता है। ज्योतिराव फुले द्वारा निर्देशित शिक्षण विधियों के प्रयोग से छात्रों पर अनावश्यक दबाव नही पड़ता है। वर्तमान समय में छात्रों में बढ़ रही आक्रामकता व आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियाँ को फुले द्वारा समर्थित शिक्षण विधियों को अपनाये जाने से रोका जा सकता है। वर्तमान समय में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं जैसे NCERT एवं NCTE आदि के द्वारा इन प्रयोगात्मक व व्यवहारिक शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है।

- **विद्यालय–**

ज्योतिराव फुले ने तत्कालीन समय में विद्यालयों की कुदशा का अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है व उनकी स्थिति में सुधार व गुणवत्ता में वृद्धि हेतु सुझाव भी दिये हैं। उन्होंनें विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, नियमित निरीक्षण आदि पर विशेष बल दिया है। महात्मा फुले ने विद्यालयी गतिविधियों का संचालन प्रजातांत्रिक वातावरण में सम्पादित करने का समर्थन किया है। जिससे समस्त धर्म, जाति, वर्ण, लिंग के छात्रों को बिना भेदभाव ज्ञान प्राप्त हो सके। डॉ0 अम्बेडकर ने भी विद्यालयों में मात्रात्मक व गुणात्मक सुधार पर बल दिया है। जबकि महात्मा गाँधी ने गुरूगृह प्रणाली का समर्थन किया है जहाँ छात्रों में उच्च सामाजिक आदर्शो का निर्माण हो सके।

वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य का विश्लेषण करने पर दृष्टिगोचर होता है देश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति अत्यंत सोचनीय है इस संदर्भ में डॉ0 छेदीलाल साथी ने स्पष्ट किया है कि ''देहातो और शहरो में 50% प्राइमरी स्कूलों की इमारतें नही हैं उन स्कूलों में बच्चे जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी मौसम में खुले आसमान व पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं जिनमें साल में मुश्किल से 100 से 150 दिन स्कूल लगते हैं'' (साथी, 2012)।

ऐसे विद्यालयी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था संभव नही है। अतः ज्योतिराव के विद्यालय सम्बंधी विचार की प्रांसागिकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि मात्र विद्यालयो की मात्रात्मक वृद्धि से ही सर्वशिक्षा का लक्ष्य पूरा नही होगा बल्कि उसमें गुणात्मक सुधार भी करना होगा जिससे सरकारी विद्यालयो व निजी विद्यालयों के बीच के अन्तर को मिटाया जा सके। ज्योतिराव फुले सरकारी विद्यालयों के ही पक्षधर थे क्योकि उनका विचार था कि निजी विद्यालयो में अभिभावको का आर्थिक शोषण होता है वर्तमान समय की स्थितियां इसका स्पष्ट प्रमाण है शिक्षा व विद्यालय धनाड्य वर्ग का व्यवसाय बनकर रह गया है। अतः सरकार व समाज को ज्योतिराव के विचारो से प्रेरणा लेते हुये सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार करना चाहिये जिससे निर्धन व सामान्य वर्ग के छात्र भी उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकें।

- **शिक्षक–**

ज्योतिराव फुले ने शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट शब्दों में निर्देशित करते हुये कहा था कि शिक्षक को व्यक्तिगत सोच व विचार धारा से ऊपर उठकर अपनें समस्त छात्रों चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, विचार धारा के क्यों न हो कल्याण की बात

सोचनी चाहिए। डॉ0 अम्बेडकर ने भी फुले के अनुसार ही जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की बात की है।

ज्योतिराव फुले शिक्षक प्रशिक्षण को अनिवार्य मानते थे क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक ही छात्रों को उनकी रूचि, क्षमता व योग्यता के अनुरूप निर्देशन प्रदान कर उनके सर्वांगीण व सर्वोत्कृष्ट विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महात्मा गाँधी ने विचार शिक्षक के दृष्टिकोण में परम्परागत हैं वह आदर्श शिक्षक की भूमिका में विश्वास करते हैं जो नैतिक व चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण हो।

वर्तमान परिदृश्य में शिक्षण–शिक्षार्थी सम्बन्धों में बदलाव आया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण होने व व्यक्तिगत हितों के कारण शिक्षक–शिक्षार्थी सम्बंधों मे मधुरता का लोप हो गया है । शिक्षक छात्रों से अधिक अपने कल्याण की बात सोचते हैं वहीं विधार्थी

भी गुरू के मान सम्मान की अवहेलना करते दिखते हैं। ऐसे वातावरण में एक सकारात्मक शैक्षिक परिदृश्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निजी विद्यालयों की बढ़ती संख्या के कारण अब अप्रशिक्षित अध्यापकों की विद्यालयों में भरमार हो गयी है न तो उनका नियमित निरीक्षण होता है न किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही, जिसका दुष्परिणाम हमारे समक्ष है शिक्षा के स्तर में गिरावट व मूल्यों का पतन लगातार हो रहा है। ज्योतिराव फुले शिक्षकों को कठोर प्रशिक्षण देने के पक्षधर थे जिससे वह भविष्य में तप कर सुवर्ण बन सके उनके इन विचारों की वर्तमान समय में महती आवश्यकता है। अतः आधुनिक परिदृश्य में शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं के स्तर में

सुधार किया जाना अति आवश्यक जिससे योग्य व प्रशिक्षित अध्यापको का निर्माण हो सकें। शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात् उनके कार्यो का नियमित निरीक्षण करके तथा उनके शैक्षिक कार्यो की जवाबदेही सुनिश्चित करने से शिक्षा में गुणात्मक सुधार संभव है।

- **अनुशासन–**

किसी भी शिक्षा प्रक्रिया में अनुशासन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। अनुशासन के सम्बंध में ज्योतिराव ने अपनी मानवतावादी विचारधारा का परिचय देते हुये स्पष्ट किया है कि सर्वोत्तम अनुशासन आत्मप्रेरित है। उन्होने दण्डात्मक अनुशासन का विरोध किया है उनका विचार है कि शिक्षक ऐसे स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करे कि शिक्षार्थी उस वातावरण में स्वानुशासन की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। महात्मा गाँधी भी शिक्षा में अनुशासन को अत्यंत महात्वपूर्ण घटक मानते है उन्होने विद्यार्थियों को एकादश व्रत का पालन करने का परामर्श दिया है ताकि वह एकाग्र चित होकर अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसित हो सके।

वर्तमान समय में यदि शैक्षिक समस्याओं में अनुशासनहीनता एक प्रमुख समस्या है। शिक्षा के बदलते परिदृश्य में विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का ह्रास होता चला जा रहा है। वह अपनी संस्कृति, आदर्शो, मूल्यों से दूर हो गये है जिसके लिये हमारी शिक्षा व्यवस्था उत्तरदायी है। पाठ्यचर्या से नैतिक शिक्षा जैसे विषयों को समाप्त कर दिया गया है अथवा महत्वहीन मान लिया गया है अतः छात्रों को संस्कारों, मूल्यों, नीतियो व सही–गलत का ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिसका दुष्परिणाम युवाओं में वढ़ती

अनैतिकता के रूप में हमारे समक्ष है। आत्मानुशासन का समर्थन करते हुये ओशो ने कहा है कि ''यदि अनुशासन लाना है तो भारत के चित्त को विस्तार देना ही होगा। अनुशासन का मतलब है, बड़ा सपना, जो युवक के मन को भा जाए और वह उससे जूझ सके'' (ओशो, 2015)।

वर्तमान परिदृश्य में ज्योतिराव फुले के अनुशासन सम्बंधी विचार अत्यंत प्रासंगिक है क्योकि आज आवश्यकता है छात्रों को एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करने की जिसमें अनुशासित होकर कार्य करना उनकी आदत बन सके। छात्रों को जीवन का एक लक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति हेतु वह बिना किसी दुविधा के प्रयासरत रहे यही सत्य अनुशासन होगा।

- **स्त्री शिक्षा–**

19वीं शताब्दी समाज में यदि सर्वाधिक शोषित वर्ग कोई था तो वह शूद्र व स्त्री ही थे। दोनो को समस्त मानवीय अधिकरों से वंचित कर दिया गया था। अतः ज्योतिराव फुले ने स्त्री को उसकी गरिमा व अधिकारो को दिलाने हेतु अपार संघर्ष किया। उनका विचार था स्त्रियों की दशा में सुधार शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, शिक्षा द्वारा वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकेगी व उनकी प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगी। डॉ0 अम्बेडकर ने भी स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है उनका विचार था कि एक स्त्री के शिक्षित होनें से सम्पूर्ण परिवार शिक्षित होता है। डॉ0 अम्बेडकर ने स्त्रियों के उत्थान के लिये 'हिन्दू कोड बिल' का प्रारूप बनाया जिनसे उनके स्त्री विषयक सकारात्मक विचार परिलक्षित होते है। गाँधी जी भी स्त्री को पुरूषों से श्रेष्ठ

मानते थे। उनका कहना था कि मानसिक क्षमता या अन्य किसी भी मायनें में नारी पुरूष से कम नहीं है (सिंह, 2006)।

आधुनिक सामाजिक व शैक्षिक परिदृश्य में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव आया है परन्तु आज भी उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है उन्हे निर्णय लेने के अधिकार पूर्णतः प्राप्त नही हुये हैं। जबकि स्त्रियों को भी स्वतंत्रता व समानता के अधिकार केवल कानून या पुस्तकों में नही वरन् धरातल पर प्राप्त होने चाहिये आचार्य रजनीश ने इस सम्बंध में नारी स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि ''स्त्री का स्वतंत्र होना जरूरी है क्योकि स्वतंत्र लोग ही दूसरे को स्वतंत्र कर सकते है'' (ओशो, 2012)।

समाज में बढ़ती अनैतिकता, पुरूष वर्चस्ववाद के चलते महिलाओं को विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। इस स्थिति में ज्योतिराव के स्त्री शिक्षा व अधिकारो सम्बंधी विचारों की प्रासंगिकता वर्तमान समय में प्रभावपूर्ण है। ज्योतिराव फुले के अनुसार स्त्रियों को मात्र ज्ञान देना ही पर्याप्त नही है वरन् उन्हे सबल व सक्षम बनाना भी आवश्यक है जिससे वह अपने विरूद्ध हो रहे अपराधों का प्रतिकार करने में सक्षम बन सके व अपने अधिकारो के प्रति सजग हो सके। जिस समाज में स्त्री सुखी व सुरक्षित है वही समाज विकास के पथ पर अग्रसर होता है।

- **कृषि शिक्षा–**

ज्योतिराव ने किसानों की दशा का भी अपने साहित्य में विस्तार से वर्णन किया है। उनकी दशा सुधारने हेतु शिक्षा में कृषि के महत्व तथा किसानो को शिक्षित करने

पर बल दिया है उन्होने हण्टर आयोग (1882) को दिये अपने प्रतिवेदन में किसानों की शिक्षा के स्वरूप पर विशेष सुझाव प्रस्तुत किये है। किसानों के बालको को नयी कृषि तकनीकियों की जानकारी देने व सरकारी नौकरी देने का सुझाव दिया है जिससे कृषि पर से दवाब कम किया जा सके। महात्मा गाँधी ने भी किसानों को कुदशा से बाहर निकालने व उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु अनेक आन्दोलनों का संचालन किया। उन्होने सर्वोदय समाज का लक्ष्य प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य ही समाज के समस्त वर्गो विशेषतः कृषकों की स्थिति में सुधार लाना ताकि गाँधी जी का 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का लक्ष्य पूर्ण हो सके।

वर्तमान परिदृश्य में समाज के लगभग सभी वर्गो की स्थितियो में परिवर्तन आया है परन्तु किसानों की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है आज भी वह निर्धनता, अशिक्षा, आडम्बर व भुखमरी जैसी समस्याओं से ग्रसित है जिसका दुष्परिणाम किसानों की प्रतिदिन होने वाली आत्महत्याओं के रूप में हमारे समक्ष है। जहाँ हम डिजिटल ग्रामीण भारत का दिवास्वप्न देख रहे है वही हमारा कृषक वर्ग जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए संघर्षरत है। अतः वर्तमान परिदृश्य में ज्योतिराव के कृषि शिक्षा सम्बंधी विचार अत्यंत प्रासंगिक है जिसके अन्तर्गत कृषक बालकों हेतु अलग से विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए जिसमें कृषि की उत्तम तकनीकियों, जल संरक्षण के उपायों, उत्तम नस्ल के पशुओं का उत्पादन व उनकी देख–रेख की विशेष शिक्षा दी जाए। ऐसे विद्यालयो में कृषक वर्ग का विशेष आरक्षण हो जिससे उन्हे प्रवेश लेने में कोई भी कठिनता न हो। सरकार द्वारा अधिक

से अधिक कृषि प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन किया जाए ताकि किसानों को कृषि सम्बंधी सूचनाएं प्राप्त हो सके।

ज्योतिराव के विचारों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता को भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम जैसे– मरूभूमि विकास कार्यक्रम, मनरेगा, दीन–दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जन–धन योजना आदि से बल मिल रहा है।

- **शिक्षा के विभिन्न स्तरों के सम्बंध में ज्योतिराव फुले के विचारों की प्रासंगिकता–**

ज्योतिराव ने शिक्षा के सभी स्तरों पर विस्तार से चर्चा की है उन्होनें प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च तीनो स्तर हेतु सुझाव दिये हैं जिससे उनकी दशा व दिशा में सुधार किया जा सके।

(i) प्राथमिक शिक्षा–

हण्टर आयोग (1882) को दिये अपने प्रतिवेदन में ज्योतिराव ने प्राथमिक विद्यालयों में मात्रात्मक व गुणात्मक सुधार लाने, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने, पाठ्यचर्या को व्यवहारिक बनाने, शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाने व लगभग 12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने सम्बंधी विभिन्न सुझाव दिये है। महात्मा गाँधी तथा डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने भी निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया है। महात्मा गाँधी ने तो प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की बात की है। ताकि वह बालकों के मनोविज्ञान के अनुसार उन्हें शिक्षित कर सकें।

डॉ0 छेदीलाल ने अपनी पुस्तक 'दलित व पिछड़ी जातियो की स्थिति' में प्राथमिक शिक्षा की स्थितियों को व्यक्त करते हुये कहा है कि ''समाज के 80 प्रतिशत आबादी वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, कम आय वाले परिवारों के बच्चे अधिकांशतः प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं इस शिक्षा का बुरा हाल है। इनमें अध्यापक अधिकांशतः विद्यालय ही नही जाते है। चार, पॉच अध्यापको के स्कूल में एक या दो अध्यापक ही जाते है और शेष घर में बैठ मुफ्त की तनख्वाह लेते है''(साथी,2012)। यह स्थिति भयावह है प्राथमिक विद्यालयों के पास न तो अपना भवन है और न अन्य पाठ्य सहगामी संसाधन। ऐसी स्थितियों में गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण सम्भव नही है।

फुले द्वारा निर्देशित सुझावों की प्रासंगिकता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को जन शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। परन्तु यह प्रयास पर्याप्त नही है फुले ने विद्यालयों की मात्रात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक वृद्धि पर भी बल दिया था अतः उनके विचारों से प्रेरणा लेकर प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार, उसे निजी विद्यालयों के समकक्ष पहुॅचाना ही होगा तभी समाज के सभी वर्गो को गुणात्मक शिक्षा मिल सकेगी।

(ii) माध्यमिक शिक्षा –

माध्यमिक शिक्षा के सम्बंध में ज्योतिराव का मत था कि इनके स्वरूप में भी सुधार की आवश्यकता है यह सुधार नियमित निरीक्षण व सरकार द्वारा उठाये गये कठोर कदमों द्वारा ही संभव हो सकेगा ।

वर्तमान समय मे माध्यमिक स्तर की शिक्षा में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। शिक्षक हाईस्कूल व इण्टर के छात्रों को विद्यालय में नहीं पढ़ाते। वे छात्रों को कोचिंग पढ़ने के लिये बाध्य करते है और जो गरीब छात्र उन कोचिंग सेंटर में फीस देने में असमर्थ है। उन्हे फेल कर दिया जाता है।

इन परिस्थितियों में ज्योतिराव के नियमित निरीक्षण व सुधार संबंधी विचार अत्यंत प्रासंगिक हो जाते हैं आवश्यकता है इन माध्यमिक विद्यालयों का नियमित औचक निरीक्षण किया जाए व विद्यालय में अव्यवस्था होने पर दोषी शिक्षक व कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

(iii) उच्च शिक्षा –

ज्योतिराव उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को रोजगारपरक व व्यवहारिक बनाने के पक्षधर थे। उच्च शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के सम्बन्ध में उनका विचार था कि इसमें स्व अध्ययन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिससे अपना कार्य करते हुये युवक अपने उच्च शिक्षा प्राप्ति के स्वप्न को पूर्ण कर सकें। उच्च शिक्षा में पिछड़े व दलित वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करना चाहते थे ताकि उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश के अधिकार मिल सके। डॉ0 अम्बेडकर ने भी युवाओं के लिये रोजगारपरक उच्च शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया है ताकि वह आत्मनिर्भर बनकर देश की प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकें।

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की स्थिति अत्यन्त सोचनीय हो गयी है विश्वविद्यालय मात्र प्रमाणपत्र प्रदान करने के संस्थान हो गये हैं। उच्च शिक्षा में

अनुसंधान, गुणात्मक शिक्षा का लोप होता जा रहा है। शिक्षा का स्वरूप रोजगारपरक नहीं है जिसका दुष्परिणाम है देश में बढ़ती बेरोजगार नवयुवकों की संख्या उच्च शिक्षा में उत्तम अनुसंधान कार्यो के अभाव के कारण शिक्षा में नयी प्रवृत्तियों, तकनीकियों, नीतियों व योजनाओं का अंगीकार नहीं किया जा रहा है और आज भी हमारे देश की शिक्षा परम्परागत ढांचे पर ही चल रही है। ज्योतिराव फुले ने शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की बात की थी जिससे देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाकर देश का विकास किया जा सके ज्योतिराव के विचारों से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान सरकारें इस दिशा मे प्रयासरत भी हैं ।

ज्योतिराव उच्च शिक्षा में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करने सम्बंधी विचार की प्रासंगिकता वर्तमान परिदृश्य में स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रत्येक वर्ष लाखों विद्यार्थी स्व अध्ययन के द्वारा ही स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर रहे है। इस दिशा में सकारात्मक सुधार की आवश्यकता है अधिकांश छात्र–छात्रायें प्राइवेट कोर्स करके केवल प्रमाण पत्र एकत्र करते है वे गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहते है।

- **जन शिक्षा –**

महात्मा ज्योतिराव फुले मानवतावादी दर्शन को मानने वाले थे। अतः उन्होनें कभी मानव मात्र मे भेद नहीं किया। वह सबको समान मानते थे तथा सबके कल्याण की कामना करते थे। अपनी इसी विचारधारा के कारण उन्होने जन शिक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और समाज के सबसे निम्न वर्ग, दलित व नारी शिक्षा व उनके

कल्याण के लिये आजीवन संघर्ष करते रहे। महात्मा गाँधी व भीमराव अम्बेडकर के जीवन का लक्ष्य ही जन शिक्षा से सम्बद्ध था। गाँधी जी ने अपने जन शिक्षा व कल्याण के उद्देश्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से संविधान सभा की सदस्यता तथा संविधान निर्मात्री समिति की अध्यक्षता के लिये डॉ0 अम्बेडकर के नाम की अनुशंसा की ताकि वह दलित व अपवंचित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में संविधान रचना में अपना योगदान प्रदान कर सकें (सिंह, 2006)।

आधुनिक परिदृश्य पर विचार किया जाए तो स्थितियों में बदलाव आया है परन्तु आज भी समाज का बड़ा वर्ग जिसमें दलित, शूद्र, महिलायें व किसानों की संख्या सर्वाधिक है, जो शोषण, अशिक्षा व भेदभाव से ग्रसित है। ज्योतिराव के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति व जनजाति को सविंधान द्वारा आरक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसका सकारात्मक परिणाम उनकी शैक्षिक व सामाजिक परिस्थितियों के उन्नयन के रूप में देखने को मिल रहा है। इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है।

- **शिक्षक प्रशिक्षण–**

शिक्षक प्रशिक्षण विषय पर ज्योतिराव ने स्पष्ट शब्दो में चर्चा की है। उनका विचार था कि एक प्रशिक्षित अध्यापक बिना किसी भेद–भाव के समान रूप से बालको के मनोविज्ञान के अनुसार उन्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। महात्मा गाँधी व भीमराव अम्बेडकर दोनो महापुरूषों ने शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक प्रशिक्षण के महत्व को स्वीकार किया है।

वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक प्रशिक्षण का प्रत्यय एक महत्वपूर्ण विषय है। समस्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति की जा रही है परन्तु यहाँ गम्भीर प्रश्न यह है कि उनके प्रशिक्षण का स्तर क्या है? वह उचित मानको के अनुसार है या नही?

शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मात्र डिग्री व प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक ही सीमित रह गया है। परिणाम स्वरूप अयोग्य अध्यापको की नियुक्ति विद्यालयो में की जा रही है। जिससे शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ज्योतिराव ने 19वीं शताब्दी में ही शिक्षक–प्रशिक्षण की गम्भीरता को समझ लिया था उन्होने परम्परागत शिक्षण प्रक्रिया का विरोध किया व नयी तकनीकी को अपनाने तथा शिक्षक के कठोर प्रशिक्षण का परामर्श दिया था। उनके विचारों की प्रासंगिकता को इस बात से बल मिल रहा है कि वर्तमान समय में शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाये NCTE, NCERT आदि जैसे दिशा में कठोर कदम उठा रहे है तथा गुणात्मक सुधार लाने हेतु प्रयासरत है।

- **प्रौढ़ शिक्षा–**

वर्तमान समय में जन शिक्षा के स्वप्न को पूर्ण करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा की अनिवार्यता को नकारा नही जा सकता है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया था। उन्होंने किसान, मजदूर व गृहणियों के लिये रात्रि पाठशाला का प्रारम्भ किया। ताकि उन्हे शिक्षित किया जा सके। महात्मा गाँधी ने भी प्रौढ़ शिक्षा का समर्थन किया वह अपने आश्रम में प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं का आयोजन

करते थे। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का भी विश्वास है कि यदि अपवंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ता है जो उन्हें विभिन्न माध्यमों से शिक्षित करना होगा।

देश की स्वतंत्रता के इतने वर्षो बाद आज भी 2011 की जनगणना के अनुसार 25.96 प्रतिशत लोग निरक्षर है। जो काफी बड़ी मात्रा है इन निरक्षर नागरिकों को साक्षर बनाने तथा देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये वर्तमान आधुनिक परिदृश्य में प्रौढ़ शिक्षा की महत्ता बढ़ जाती है ताकि वह अपने जीविकोपार्जन के साथ–साथ प्राथमिक शिक्षा का ज्ञान भी प्राप्त कर सकें जिससे उनके साथ अशिक्षा के कारण होने वाले शोषण व अन्याय से वे स्वयं को सुरक्षित कर सकें।

- **नैतिक शिक्षा–**

चरित्र निर्माण प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का आधार रहा है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने तात्कालिक समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों का विरोध किया वह आजीवन मानवता की रक्षा के लिये प्रयासरत रहे। उन्होने मानवता के विकास हेतु शिक्षा द्वारा नैतिक विकास को अनिवार्य माना है। महात्मा गाँधी का जीवन दर्शन आदर्शवादिता व चरित्र निर्माण पर ही आधारित था। अतः उन्होने एकादश व्रत के माध्यम से छात्रों व शिक्षकों में चरित्र निर्माण पर बल दिया है। डॉ0 अम्बेडकर ने भी शिक्षा में नैतिक शिक्षा को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की बात की है।

वर्तमान परिस्थितियों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो समाज में सर्वत्र अपराध, अराजकता, अन्याय का वातावरण दिखाई पड़ता है। जिसके फलस्वरूप समाज में मानवता को लोप हो गया है। ऐसी विभत्स परिस्थितियों में ज्योतिराव फुले के नैतिक

शिक्षा सम्बंधी विचारों की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता बढ़ जाती है। आज आवश्यकता है बाल्यावस्था से ही बालकों को सत्य, धर्म, संस्कार व मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाए ताकि उन्हें सही–गलत तथा करणीय–अकरणीय कर्मो के मध्य की दीवार का ज्ञान प्राप्त हो सके और समाज में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक लगायी जा सके।

महात्मा ज्योतिराव फुले एक महान समाज सुधारक व शिक्षाशास्त्री थे उन्होने शिक्षा के समस्त आयामो पर विस्तार से चर्चा की है और अपने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किये हैं। ज्योतिराव के विचार तर्कनिष्ठ, वैज्ञानिक व प्रमाणित थे जिनकी प्रासंगिकता उतनी आज भी है तथा भविष्य में भी रहेगी। उनका दृष्टिकोण व्यापक था वह समाज के सर्वांगीण कल्याण की बात सोचते थे। उनके विचारों की वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिकता 'सयुक्त राष्ट्र संघ, जैसी अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना ने सत्य सिद्ध किया है जो देश व धर्म से ऊपर उठकर सम्पूर्ण मानवता के कल्याण हेतु प्रयासरत हैं।